* उच्च न्यायालय *

(अनुच्छेद - 214

* अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। परन्तु संसद एक से अधिक राज्यों के लिए भी 1 उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।

* अनुच्छेद 216 में नये उच्च न्यायालयों के गठन तथा न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है।

* नियुक्ति (अनुच्छेद - 217) → उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है तथा मुख्य न्यायाधीश की सलाह में नियुक्ति में उस राज्य के राज्यपाल की तथा अन्यों की नियुक्ति में राज्यपाल एवं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है।

* योग्यता → * वह लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अथवा वह लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अथवा वह राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत
* व प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।
* न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है।

* कार्यकाल → इसके मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तथा अन्य का 62 वर्ष की आयु होता है।

* त्यागपत्र → राष्ट्रपति को देते हैं।

* पद से हटाने की प्रक्रिया → इनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधी

25 वाँ उच्च न्यायालय → 1 जनवरी 2019 को अमरावती, आंध्रप्रदेश में चालू हुआ।

के समान संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

* महत्वपूर्ण तथ्य →
* वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है।
* गुवाहाटी उच्च न्यायालय असोम के अधीन ~~के~~ अधीन सर्वाधिक 4 राज्य आते है—
1. असोम 2. मिजोरम 3. नागालैण्ड 4. अरुणाचलप्रदेश।

* हरियाणा और पंजाब राज्य का भी 1 ही उच्च न्यायालय है।
* अभी तक सीमांध्र व तेलंगाना का भी 1 ही उच्च न्यायालय है।

* इसके द्वारा दिये गये निर्णय 'न्यायिक कानून" कहलाते है।

* P.D दिनाकरण व सौमित्र सेन उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश है जिन पर महाभियोग लाया गया था। लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

* उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत) को वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है।
* वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये है तथा अन्यों का वेतन 2,25,000 रुपये है।

* राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना ~~21 जून~~ 29 अगस्त 1949 को ~~जयपुर को~~ जोधपुर हुई थी तथा इसे 1956 में जोधपुर स्थापित किया गया था।
* इसमें न्यायाधीशों की सदस्य संख्या 50 है।
* इसकी जयपुर खण्डपीठ की स्थापना 1977 में हुई थी।
* इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश — शरद कुमार घोष (21 जून 1949) बनाये गये थे। परन्तु इसके उद्घाटन 29 अगस्त 1949

को कमल कांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाये गये थे।

* वर्तमान मुख्य न्यायाधीश — ~~S. रविन्द्र भट्ट~~ इन्द्रजीत महान्ति (अब)

* उच्च न्यायालय की शक्तियाँ / क्षेत्राधिकार →

1. *अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 215) →

इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये सभी निर्णयों को अभिलेख (रिपोर्ट) के रूप सुरक्षित रखा जाता है। तथा इन्हे कानून की मान्यता दी जाती है। तथा इनकी अवमानना करने पर दण्ड का प्रावधान है।

2. प्रारंभिक / मौलिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) →

जिन मामलो की सुनवाई का प्रारंभ सीधे उच्चन्यायालय से होता है वह इसके अंतर्गत आते है।

जैसे →
मूल अधिकार, विवाह।

3. अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227) →

उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षक होता है। तथा उनका निरीक्षण एंव कार्यो का परीक्षण करता है। एंव उन्हे निर्देश देता रहता है।

4. अपीलिय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 228) → उच्चन्यायालय को जिला एंव सत्र न्यायालयों के द्वारा दिये गये निर्णयों की अपील सुनने की शक्ति प्राप्त है।

→ 5 अगस्त 2019 धारा 370 व 35A खत्म J&K से / 17 अक्टू 1949 को — 370 लागू

दो केन्द्रशासित प्रदेश में विभाजित — जम्मू कश्मीर पुर्नगठन बिल — अमित शाह द्वारा

जम्मू कश्मीर और कश्मीर आधिकारिक तौर पर केन्द्रशासित बने → 31 अक्टूबर 2019

① जम्मू कश्मीर — जम्मू ② लद्दाख — लेह (राजधानी)

35A → J&K के स्थायी निवासियों से संबंधित

1st उपराज्यपाल → गिरीश चन्द्र मुर्मू 1st उपराज्यपाल — R.K माथुर

विशेष → 14 मई 1954 को जोड़ा गया → राष्ट्रपति → राजेन्द्र प्रसाद के आदेश से लागू

2020 ↓

* जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्रावधान *

नये उपराज्यपाल → मनोज सिन्हा

(अनुच्छेद — 370)

→ खण्ड -1 लागू, बाकी समाप्त

→ एकल नागरिकता, एक राष्ट्र, एक ध्वज नियम लागू।

* अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। खत्म
* जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है। यह 26 नवम्बर 1957 को लागू हुआ था।
* यहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है।
* यहां की विधानसभा एवं सरकार का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
* संसद के द्वारा बनाये गये कानून इस राज्य में राज्य की अनुमति के बिना सीधे लागू नहीं होते।

* → दूसरे राज्य के लोग जमीन खरीद सकते है, वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है

* अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यहाँ राज्य की अनुमति के बिना सीधे राष्ट्रीय आपात नहीं लगता।
* जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल → 5 वर्ष
* अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इस राज्य में पहले राज्यपाल का शासन लगाया जाता है। इसके 6 माह बाद ही राष्ट्रपति शासन लगता है।
* अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यहां वित्तीय आपात लागू नहीं होता है।
* अनुच्छेद 19 में दिया गया मूल अधिकार यहाँ अन्य राज्यों के नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है।
* नीति निर्देशक तत्व इस राज्य में लागू नहीं होते।
* समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति इस राज्य को प्राप्त है।
* इस राज्य में नियोजन, सम्पत्ति के अर्जन एवं स्थाई निवास के विशेषाधिकार केवल यहां के नागरिकों को ही प्राप्त है।

लद्दाख के दर्रे → चांग ला, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, इमिस ला, अघिल दर्रा, श

जम्मू कश्मीर के दर्रे → जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा